

वित्तीय दिशा—निर्देश

कार्यक्रम का नाम :— Management unit at FRU (Hospital Manager & FRU Accountant)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) —

Management unit at FRU (Hospital Manager & FRU Accountant)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)— A.10.4.9

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

एफ०आर०य० का मुख्य कार्य जनता के बीच सांस्थिक प्रसव को बढ़ावा देना एवं उन्हें 24 X 7 की सुविधा उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य प्रत्येक एफ०आर०य० में अस्पताल प्रबंधक एवं लेखापाल के एक—एक पद का प्रावधान किया गया है।

इकाई राशि —

Additional Manpower under NRHM (Hospital Manager & FRU Accountant)

One FRUs Expenses :					
Sl. No.	Particular	No. of Post	Salary (PM)	Annual Increment 2011-12 (10%- After completion of one year service)	Amount (Per Annum))
1.	Hospital Manager	1	25000	27500	315000
2.	Accountant	1	15000	-	135000
	Total				450000

1 FRU Expense = 450000

वित्तीय दिशा—निर्देश —

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति, विहार द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जाती है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा पुनः इसे संबंधित FRU को आवश्यकतानुसार राशि विमुक्त की जाएगी। इस वर्ष के PIP में प्रत्येक FRU में एक—एक Accountant की नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गयी है, जिसकी जिम्मेवारी संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को सौंपी जाती है एवं निदेशित किया जाता है कि यथाशीघ्र Accountant की नियुक्ति प्रत्येक FRU में कर ली जाय। उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी —

(क) शैक्षणिक योग्यता — बी०कॉम।

(ख) अनुभव — लेखा कार्यों का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव।

(ग) कम्प्यूटर के जानकार (विशेषकर Tally) उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया — FRU Accountant हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए विज्ञप्ति निकाली जाएगी। आवेदन संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति में जमा होगा। उक्त पद पर चयन एवं नियुक्ति संबंधी नियमानुकूल अग्रेतर कारवाई जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जाएगी।

नोट — वैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो वर्तमान में FRU के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा जहाँ पूर्व से ही प्रखंड लेखापाल कार्यरत हैं, वहाँ इस पद पर नियुक्ति की कारवाई नहीं की जाएगी।

* राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 22884 दिनांक 17/01/2011 के आलोक में FRU Accountant का ग्रेड Executive ग्रेड होगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या, तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 22884 दिनांक 17/01/2011

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम —

जय प्रकाश सिंह (बिंप्र०स०)

वरीय उप—समाहर्ता—सह—प्रभारी, मानव संसाधन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर — का० — 7488270145 / मोबाईल — 9470003012

Annexure-3

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम:- वित्त प्रबंधन शाखा

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर):- NRHM A-10.5.1

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-1 के आधार पर):-

Statutory Audit (वर्ष 2010-11)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम) :- वर्ष 2010-11 के वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। ऑडिट शुल्क का भुगतान अनुमोदित दर पर मुख्यालय से किया जायेगा। लेकिन अनुमोदित ToR के अनुसार Chartered Accountant फर्म को यात्रा भत्ता का भुगतान जिला स्तर से किया जायेगा। अनुमोदन के अनुसार जिला के 40 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अंकेक्षण होना है।

इकाई राशि (रु० में) :- 9,000/- प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

वित्तीय दिशा-निर्देश:- वैधानिक अंकेक्षण हेतु अनुमोदित ToR के अनुसार Chartered Accountant फर्म जो जिला का दौरा करेंगे उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाना है। इसका भुगतान अनुमान्यता द्वे आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित दर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संतोषप्रद कार्य सम्पादन के पश्चात किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) अनुमोदित ToR की प्रति संलग्न की जा रही है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:- के०एल० दास (वित्त प्रबंधक)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर:-0612-2283801, 9470003021

Annexure-3

वित्तीय दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम:- वित्त प्रबंधन शाखा

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर):- NRHM A-10.6

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-1 के आधार पर):-
Concurrent Audit (राज्य एवं जिला)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम) :- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रत्येक वर्ष Concurrent Audit कराया जाना है। इस कार्य हेतु अधिकतम 20,000/-प्रतिमाह पर जिले में अंकेक्षक की नियुक्ति जिला स्तर पर ही होना है।

इकाई राशि (रु० में) :- 20,000/-प्रतिमाह

वित्तीय दिशा-निर्देश:- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित दर पर भुगतान किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम:- के०एल० दास (वित्त प्रबंधक)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर:-0612-2283801, 9470003021